

झारखण्ड माल और सेवा कर विधेयक, 2017

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के
अंतःराज्यीय पूर्ति पर
कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या
उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड्सठवै वर्ष में झारखण्ड के राज्य विधानभृत्य द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड पर है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो झारखण्ड सरकार, राजपत्र में,
अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारंभ
।

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

परिमापारं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में उक्ता है ;

(2) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है ;

(3) "अभिलेख पर पता" से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो पूर्तिकार के अभिलेखों में उपलब्ध है ;

(4) "न्यायनिर्णयक प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं हैं ;

(5) "अभिकर्ता" से फेक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से जात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(6) "सकल आवर्त" से सभी कराधीय पूर्तियों (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्त पूर्तियों, माल या सेवाओं या दोनों के नियोतां और अखिल भारतीय आधार पर संगणित समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अंतरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है ;

(7) "कुशक" से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है, जो,-

(क) स्वयं के श्रम द्वारा ; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है ;

(8) "अपील प्राधिकारी" से अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत

1882 का 4

धारा 107 में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है :

(9) "अपील अधिकरण" से धारा 109 से लिंगिल्लु माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है :

(10) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होगे :

(11) "निर्धारण" से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वतःनिर्धारण, पुनःनिर्धारण, अनन्तिम निर्धारण, सांस्कृत निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुराग निर्धारण भी हैं :

(12) "सहायुक्त उदयमो" का वही भर्ता होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92 के में उसका है :

(13) "संपरीक्षा" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्त्वमय प्रसूत किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकूट व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदर्भ करो, दावाकृत प्रतिदाय और उपओग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है :

(14) "प्राधिकृत बैंक" से इस अधिनियम के अधीन संदेश कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है :

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि", से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है ;

(16) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है :

(17) "कारबार" में लिम्पलिंगित सम्मिलित है:-

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पट्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो ;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो ;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बढ़ी के संबंध में पूँजी माल सहित माल और सेवाओं की पूर्ति या अर्जन ;

(ङ) किसी कलब, संगम, सोसाइटी या कौसी ही सुविधाओं या फायदों वाले किसी निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य

प्रतिफल के लिए) कोई व्यवस्था ;

(घ) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश ;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, पूर्ति की गई सेवाएँ ;

(ज) किसी धुड़दौड़ कब्ज़ द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएँ या ऐसे कब्ज़ में के बुक-मेकर की अनुज्ञाप्ति ; और

(झ) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं ;

(18) "कारबार शीर्षक" से किसी ऐसे उदयम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक-पृथक माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जो ऐसे जाखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है ;

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएँ, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,-

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं की पूर्ति में प्रयुक्त पद्धतियां ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहाँ कहीं लाग नहीं), इसके अंतर्गत बैंकारी, बीमा या लोक उपयोगिताएँ हैं ;

(19) "पूंजी माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(20) "नैमित्तिक कराधीय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कराधीय द्वे त्रि में जहाँ उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अधिकर्ता या किसी अन्य हैंसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वित है ;

(21) "केंद्रीय कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अभिलिखन की धारा 9 के अधीन उद्यग्हीत केंद्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(22) "उपकर" का वही अर्थ हो, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

अधिनियम में उसका है :

1949 का 38

(23) "जार्ड्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित जार्ड्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है :

(24) "आयुक्त" से राज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर प्रधान आयुक्त और एकीकृत नाल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त एकीकृत कर आयुक्त भी है :

(25) "बोर्ड में का आयुक्त" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है :

(26) "सामान्य पोर्टल" से धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अभिप्रेत है :

(27) किसी राज्य या संघ राजसभेव के संबंध में "सामान्य कार्य दिवस" से लगातार ऐसे दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित नहीं किया गया है :

1980 का 56

(28) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है :

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

(30) "संयुक्त प्रदाय" से किसी कराईय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराईय पूर्तियों से मिलकर बना है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतिः बांधा गया है और पूर्ति किया गया है, जिनमें एक मूल पूर्ति है :

इष्टांत : जहां माल का बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहां माल की पूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति होगा और माल की पूर्ति एक मुख्य पूर्ति होगा ।

(31) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, चाहे धन के रूप नें या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायकी सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, किसी कार्य या प्रवरित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या

किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी समिलित नहीं होगी :

परन्तु माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में दिए गए निष्केप को ऐसे पूर्ति के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि पूर्तिकार ऐसे निष्केप का, उक्त पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे ;

(32) "माल का निरंतर प्रदाय" से माल का ऐसा पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के नाध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवृत्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए कशार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर पूर्तिकार, पालिकारी के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है ;

(33) "सेवाओं का निरंतर प्रदाय" से सेवाओं का ऐसा पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवृत्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए कशार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है .

(34) "प्रत्यक्षण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है ;

(35) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में व्यापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है ;

(36) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है ;

(37) "जमापत्र" से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(38) "नामे नोट" से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(39) "समझा गया निर्गत" से माल का ऐसोपूर्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए ;

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (न) में व्यापरिभाषित फ्रेस्ट्रॉलिक अग्निलेख भी है ;

1959 का 23

2000 का 21

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(43) "इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते" से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता अभिप्रेत है;

(44) "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य" से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद भी हैं;

(45) "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;

(46) "इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते" से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता अभिप्रेत है;

(47) "छूट प्राप्त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कारबीयपूर्ति भी हैं;

(48) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्याहण और संवहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली संसद् या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है;

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,-

- व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक ; और
- व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आकृति हैं ;

(50) "नियत स्थापन" से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की पूर्ति करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के नियंत्रणानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिवी द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है ;

(51) "निधि" से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(52) "माल" से मुद्रा और प्रतिमूलियों से भिन्न प्रायोक प्रकार की जंगल

संपत्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी धारा और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिस की पूर्ति के पूर्व या पूर्ति की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है;

(53) "सरकार" से ज्ञारखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है;

(56) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महादर्वीषीय मन्त्रालय भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महादर्वीषीय मन्त्रालय भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमुदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;

1976 का 80

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(58) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(59) "इनपुट" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूँजी माल से छिना कोई माल अभिप्रेत है;

(60) "इनपुट सेवा" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले करार्थी माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार को उक्त सेवाओं पर संदर्भ केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से माल या सेवाओं या दोनों के किसीपूर्ति पर प्रआरित केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,-

(क) माल के आयात पर प्रआरित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

किंतु इसमें उद्गङ्खण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर समिलित नहीं हैं ;

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है ;

(64) "माल का अंतरराज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है ;

(65) "सेवाओं का अंतरराज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है ;

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है ;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक प्रदाय" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है ;

(68) "छुटपुट कार्य" से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत हैं--

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ए) में यथा परिभाषित कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का उद्दिष्ट है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है ;

(घ) आवनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथा परिभाषित आवनी बोर्ड ;

(ङ) संविधान की छहठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(७) समिधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद्;

(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से,-

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त की जाती है, वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां पूर्ति की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अधाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(71) "सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान" से,-

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों से की जाती है, वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां पूर्ति की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अधाव में पूर्तिकार के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(72) "विनिर्णय" से कच्ची सामग्री या इनपुट का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और "विनिर्णय" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(73) "बाजार मूल्य" से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होती, जिसकी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के गाल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकार संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए शंदाय किए जाने की अपेक्षा होती है;

(74) "मिश्रित प्रदाय" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन

से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् पूर्ति अभिप्रेत हैं, जहां ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति गठित नहीं होता है।

इष्टांतः : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, भेवा, वातित पेय और फल के जूस को भिलाकर बनाए गए पैकेज की पूर्ति, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह पूर्ति मिश्रित पूर्ति होगी। इन मटों में से प्रत्येक मट का अलग-अलग भी पूर्ति किया जा सकती है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा। यदि इन मटों का अलग-अलग पूर्ति की जाती है तो वह मिश्रित पूर्ति नहीं होगी;

(75) "धन" से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चेक, बचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आईर, डाक या ड्रॉफ्टानिक्यु विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखित अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिकल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है;

1988 का 59

(76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के संड (28) में उसका है;

(77) "उनिवासी कराधीय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वर्तित हैं, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है;

(78) "गैर-कराधीय प्रदाय" से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उद्यग्हणीय नहीं है;

(79) "गैर-कराधीय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधीय राज्यक्षेत्र से बाहर है;

(80) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से किन्वन् राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ड) में निर्दिष्ट हैं;

(82) किसी कराधीय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किंतु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेश कर को अपवर्जित किया गया है;

(83) किसी कराधीय व्यक्ति के संबंध में "जावक प्रदाय" से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दोरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए

करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुजप्ति, भाटक, पट्ठा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से की गई पूर्ति अभिप्रत है;

(84) 'व्यक्ति' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

- (क) कोई व्यष्टि ;
- (ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;
- (ग) कोई कंपनी ;
- (घ) कोई फर्म ;
- (ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;
- (च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निर्गमित हो या न हो ;
- (छ) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिवारित कोई सरकारी कंपनी ;
- (ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निर्गमित कोई निगमित निकाय ;
- (झ) सहकारी सोसाइटियाँ से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी ;
- (ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;
- (ट) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;
- (ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी ;
- (ঢ) ন্যাস ; ঔর

(ঢ) প্রত্যেক এসা কৃত্রিম বিধিক ব্যক্তি, জো উপরোক্ত কিসী মেঁ নহীঁ আতা হৈ ;

(85) 'कारबाह के स्थान' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) वह स्थान, जहां से मामूली तौर से कारबाह किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भड़ारागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधीय व्यक्ति अपने माल का अंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है या प्राप्त करता है ; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधीय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधीय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम

2013 का 18

1860 का 21

से, चाहे वह किसी नाम से जात हो, कारबार में लगा हुआ है;

(86) "प्रदाय का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथानिदिष्ट पूर्ति का स्थान अभिप्रेत है;

(87) "विहित" से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(88) "प्रधान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(89) "कारबार का मुख्य स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;

(90) "मुख्य प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त पूर्ति के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त पूर्ति के भागरूप कोई अन्य पूर्ति आनुषंगिक है;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "उचित अधिकारी" से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है;

(92) "तिमाही" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को भमाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों;

(93) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के "प्राप्तिकर्ता" से,-

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेश है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेश नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है;

(ग) जहां किसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती है,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे पूर्ति की गई है, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा;

(94) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, जिसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(95) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा परिषद् की स्थिरिशों पर बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(96) माल के संबंध में 'हटाए जाने' से,-

(क) उसके पूर्तिकार द्वारा या ऐसे पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए नाल का प्रेषण अभिप्रेत है; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है;

(97) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी अभिप्रेत है;

(98) "प्रतिलोम प्रभार" से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकूकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार के बजाए माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है;

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से धारा 108 में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(100) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है;

1956 का 42

(102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से अन्तर्मुखी अभिप्रेत है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रूप से एक करेसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित हो, सम्मिलित से संबंधित कियाकलाप हैं;

(103) "राज्य" से ज्ञारखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(104) "राज्य कर" से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहित कर अभिप्रेत है;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "पूर्तिकार" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकार की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

(106) "कर अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है;

(107) "करार्धीय व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है;

(108) "करार्धीय प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्गृहणीय है;

(109) 'कराधीय राज्यक्षेत्र' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं ;

(110) 'दूर संचार सेवा' से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो ट्रैक्स सर्विस, वीडियो ट्रैक्स सर्विस, रेडियो पेंजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेशण या गहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दश्य या अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(111) 'कैंट्रीय माल और सेवा कर अधिनियम' से संबंधित कैंट्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत हैं ;

(112) राज्य में के आवर्त्त से किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभाव के आधार पर कर संदेय हैं) सभी कराधीय पूर्तियों और छूट प्राप्त पूर्तियों, उक्त कराधीय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अंतरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें कैंट्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

(113) 'आधिक निवास स्थान' से--

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां व्यष्टि निर्गमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

(114) 'संघ राज्यक्षेत्र' से--

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप ;

(ख) लक्षद्वीप ;

(ग) दादरा और नागर हवेली ;

(घ) दमन और दीव ;

(ङ) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र सनझा जाएगा ;

(115) 'संघ राज्यक्षेत्र कर' से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(116) 'संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम' से संघ राज्यक्षेत्र माल

और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(117) "विधिमान्य विवरणी" से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वतः निर्धारण कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है ;

(118) "वाकचर" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की वाद्यता है और जहां पूर्ति किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी पूर्तिकारओं की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं ;

(119) "कार्य संविदा" से जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में माल के रूप में संपत्ति के अंतरण (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) में संपत्ति का अंतरण अंतर्विलित है, किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सञ्जनामाण, रचना करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सजिजत करने, सुधारने, उपातरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है ;

(120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं ;

अध्याय 2

प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन अधिकारी ।

3. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :-

- (क) राज्य कर [प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त] ;
- (ख) राज्य कर आयुक्त ;
- (ग) राज्य कर विशेष आयुक्त ;
- (घ) राज्य कर के अपर आयुक्त ;
- (ड) राज्य कर संयुक्त आयुक्त ;
- (च) राज्य कर उपायुक्त ;
- (छ) राज्य कर सहायक आयुक्त ;
- (ज) राज्य कर पदाधिकारी ; और
- (झ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे ;

परंतु झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा ।

4. (1)-सरकार, धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे ।

अधिकारियों की नियुक्ति ।

(2) आयुक्त की अधिकारिता संपूर्ण राज्य पर होगी, किसी विशेष आयुक्त और किसी अपर आयुक्त के पास, उसे समनुदेशित सभी या किसी कृत्य के संबंध में संपूर्ण राज्य या जहां कहीं राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, उसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर की अधिकारिता होगी तथा सभी अन्य अधिकारियों के पास, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, संपूर्ण राज्य या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर की अधिकारिता होगी, जैसा कि आयुक्त द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

5. (1) राज्य कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

अधिकारियों की शक्तियाँ ।

(2) राज्य कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ हैं, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राप्तिकृत होंगे ।

कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों का सनुचित प्राधिकारी के रूप में प्राप्तिकृत होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,--

(क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वह वह राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, राज्य कर या सघ राज्य क्षेत्र कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रजापना के अधीन, यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम द्वारा प्राप्तिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा;

(ख) जहां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की

परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

प्रटाय की परिपि।

7. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रटाय" पद में निम्नलिखित सन्मिलित हैं:-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनियम, विनियम, अनुज्ञानि, आटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी प्रलय;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयत, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं;

(ग) किसी प्रातिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप; और

(घ) अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माने गए क्रियाकलाप।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,-

(क) माल की पूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में; या

(ख) सेवाओं की पूर्ति के रूप में, न कि माल की पूर्ति के रूप में,

माना जाएगा।

8. किसी संयुक्त या निश्चित पूर्ति पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रौति से किया जाएगा, अर्थात् : -

(क) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्तपूर्ति को, जिसमें से एक मुख्य है, ऐसी मुख्य पूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा

संदर्भ और
निश्चित पूर्तियों पर
कर का दायित्व।

; और

(ख) दो या अधिक पूर्तियाँ को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित पूर्ति को उस विशिष्ट पूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है।

9. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान की पूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यिक पूर्तियों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीम प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, झारखण्ड माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्घाःण और संबंधन किया जाएगा और जो कराईय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा।

उद्घाःण
संबंधन।
और

(2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बोइन ईंधन की पूर्ति पर राज्य कर का उद्घाःण उस तरीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्देश कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(4) किसी ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराईय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्देश कर सकेगी, जिसके अंतरराज्यिक पूर्तियों पर कर, यदि सेवाओं की पूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किया जाता है तो, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा पूर्तिकार है जो ऐसी सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु यदि कराईय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराईय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति करने का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि कराईय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक की

भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिलिपि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बाणीज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधीय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा।

उपाय उद्घाटन ।

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निवैधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो,-

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य पूर्तिकारों की दशा में, राज्य में के आवर्त के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि--

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियों से अलग सेवाओं की पूर्ति में जारी लगा हुआ है ;

(ख) वह ऐसे किसी माल की पूर्ति करने में जारी लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्यग्नीय नहीं है ;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक ज्ञावक पूर्ति करने में नहीं लगा है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बाणीज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संबंधन की अपेक्षा है, किसी माल की पूर्ति करने में नहीं लगा है ;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा।

(4) कोई ऐसा कराधीय व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा की गई पूर्तियों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधीय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर संदर्भ कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा सदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

11. (1) जहाँ सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्घाहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।

(2) जहाँ सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्घाहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानो वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसा पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहाँ किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्घाहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहाँ ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।

कर से छूट देने की अनित।

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

माल की पूर्ति का
समय ।

12. (1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपर्योगों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा ।

(2) माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे पूर्ति की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह तारीख, जिसको पूर्तिकार पूर्ति की बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परन्तु जहाँ कराधेय माल का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहाँ पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के दिक्कल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण 1—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" वो उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहाँ तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ।

स्पष्टीकरण 2—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख, जिसको पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रतिष्ठि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संतोष है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) माल प्राप्ति की तारीख ; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज़, चाहे वह जिस नाम से जात हो, जारी किए जाने की तारीख से तो स दिन के ठीक पश्चात्यर्ती तारीख ।

परन्तु जहाँ खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहाँ पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी ।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,—

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस दिन पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मानलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय--

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर संदत्त किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के द्वे से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

13. (1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा।

सेवाओं की पूर्ति का समय।

(2) सेवाओं की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थातः--

(क) पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मानसे में, जहां खंड (क) या खंड (ख) में के उपबंध लागू नहीं होते हैं :

परंतु जहां कराधीय सेवा का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तर तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण-खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए--

(i) पूर्ति को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है;

(ii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि पूर्तिकार की लेखा-पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर

होगा, अर्थात् :-

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से जात हो, जारी किए जाने की तारीख से मात्र दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

पांतु जहाँ खंड (क) या खंड (ख) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहाँ पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट की तारीख होगी :

पांतु यह और कि महयुक्त उद्यमों द्वारा पूर्ति की दशा में, जहाँ सेवा का पूर्तिकार भारत से बाहर स्थित है, वहाँ पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,-

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा ।

(5) जहाँ उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहाँ पूर्ति का समय,-

(क) उस दशा में, जहाँ कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहाँ वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के द्वारा से संदाय के लिए व्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है ।

माल या सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर की दर में परिवर्तन ।

14. धारा 12 या धारा 13 में अंतिमिष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहाँ पूर्ति के समय का अवधारण लिम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की गई है, उस दशा में,-

(i) जहाँ उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहाँ पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो,

होगा ;

(ii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा ; या

(iii) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा ;

(x) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति किए जाने की दशा में—

(i) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा ; इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ; या

(iii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किंतु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा :

परंतु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संदाय के प्राप्त होने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको पूर्तिकार की लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

15. (1) जहां पूर्तिकार या पूर्ति का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और पूर्ति के लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी पूर्ति का मूल्य ऐसा संब्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से संदर्भित किया जाता है या संदेय है ।

(2) पूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) इस अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन उदागृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है ;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका पूर्तिकार, ऐसे पूर्ति के संबंध में संदाय करने के

कराएग पूर्ति का मूल्य ।

लिए दायी हैं, किंतु जो पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से सदत्त या संदेश कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ग) किसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से पूर्तिकार द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है, माल के प्रतिशत या सेवाओं की पूर्ति के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकार द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम ;

(घ) किसी पूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विवरणित संदाय के लिए ब्याज या विलेव फीस या शास्ति ; और

(ङ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायिकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियाँ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को ऐसे पूर्तिकार के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) पूर्ति के नूल्य में किसी को ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो--

(क) पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय दी जाती है, वहि ऐसी छूट को ऐसे पूर्ति के संबंध में जारी बीजक में सम्यक रूप से अंकितिकृत किया गया है ; और

(ख) पूर्ति के प्राप्तिकर्ता होने के पश्चात दी जाती है, यदि--

(i) ऐसी छूट, ऐसे पूर्ति के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निवारणनामुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से मुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है ; और

(ii) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे पूर्तिकार द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के नूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पूर्तियों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषट् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए--

(क) ऐसे व्यक्तियों को "तंबांगैत व्यक्ति" समझा जाएगा, यदि--

(i) ऐसे व्यक्ति किसी अन्य कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं ;

(ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से माल्यताप्राप्त भागीदार है ;

(iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं ;

(iv) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पञ्चीस

प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्व, नियंत्रण हैं या धारण करता है;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है;

(vi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं;

(vii) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं; या

(viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं;

(x) "व्यक्ति" पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी हैं;

(ग) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के कारबार से सहबद्ध हैं, जिसमें वह किसी अन्य का एक मात्र अधिकारी या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतयाही, चाहे किसी भी नाम से जात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझा जाएगा।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

16. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी जिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

इनपुट कर प्रत्यय
लेने के लिए
प्रत्यय और शर्तें।

(2) उक्त धारा में अंतिमिष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा जारी कोई कर बोजक या नामे नोट (डेविट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहाँ पूर्तिकार द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दरतावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदृत कर दिया जाता है;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूर्ति के संबंध में प्रभारित

कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के संबंध में अनुश्रूत इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए ; और

(घ) वह धारा 39 के विवरणी न दे दे :

परंतु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेश है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेश करने के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के व्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति मूल्य के साथ उस पर संदेश कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन पूँजी माल और संयंत्र तथा मरीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुजात नहीं किया जाएगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के लिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

प्रत्यय और निष्ठ
प्रभाजन का
प्रभाजन ।

1961 का 43
17. (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आगत: किसी कारबाह के प्रयोजन के लिए किया जाता है और आगत: अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वह प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबाह के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आगत: इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर पूर्तियों सहित कराधीय पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए और आगत: उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर पूर्तियों सहित उक्त कराधीय पूर्तियों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त पूर्ति का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर

संदाय का दारी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

(4) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय कंपनी को, जिसके अंतर्गत ऐसी शैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी हैं, जो निषेधों का प्रतिव्यवहार करके, उण्ठों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं की पूर्ति करने में लगी हुई है, उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या उस मास के प्रत्यार्थों, पूँजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यापार त हो जाएगा;

परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई पूर्तियों पर संदर्भ कर को लागू नहीं होगा।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :-

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,-

(i) निम्नलिखित कराधीय पूर्तियों को करने के लिए किया जाता है,

अर्थात् :-

(अ) ऐसे यानों या प्रवहणों के और पूर्ति के लिए ; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित पूर्ति के लिए :-

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, जाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्ति का उपयोग दैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधीय पूर्ति के लिए या कराधीय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के कारक के रूप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय,

जहां--

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना आवश्यक है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक पूर्ति का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधीय पूर्ति करने के लिए या कराधीय स्थुक्त या भिक्षित पूर्ति के आग्रह प्रक्रिया जाता है ; और

(iv) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा कायदे ।

(ग) (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उन की पूर्ति स्थावर संपत्ति के सन्निर्णय के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और पूर्ति के लिए कोई आवक सेवा ।

(घ) किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उन की पूर्ति स्थावर संपत्ति के सन्निर्णय के लिए प्राप्त किया गया या माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी है, जिनका उपयोग कारबाह के दौरान या उसे अव्याप्त करने के लिए किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्णय" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूँजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्णय, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है ।

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदर्भ कर दिया गया है ;

(च) किसी अनिवासी कराधीय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त गाल या सेवाएं या दोनों ;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सेंपल द्वारा अपलिखित या व्यवस्थित माल ।

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदर्भ कोई कर ।

(6) सरकार ऐसी शीति विहित कर सकेगी, जिसने उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय और अध्याय 4 & 6 के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र और मशीनरी" पद से ऐसे साइट्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक पूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी है, किंतु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं—

(i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सलिलर्माण ;

(ii) दूर-संचार टावर ; और

(iii) कारखानाएँ परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें ।

18. (1) ऐसी शर्तें और निवंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधिन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्वी दिन को स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्थ परिस्थित या परिस्थित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने का हकदार है, स्टाक में धारित निवेशों और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से, ठीक पूर्वी दिन को स्टाक में अंतर्विष्ट अर्थ परिस्थित या परिस्थित माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ग) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से धारा 10 के अधीन कर का संदाय शोक दिया है, उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्वी दिन जो वहाँ वह स्टाक में धारित निवेशों, स्टाक में धारित अर्थ परिस्थित या परिस्थित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और—पूर्जी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूर्जी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त पूर्ति कराईय पूर्ति हो गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसे छूट प्राप्त पूर्ति संबंधित स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्थ परिस्थित या परिस्थित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और ऐसे छूट प्राप्त पूर्ति के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूर्जी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूर्जी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे पूर्ति से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसे पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार कारबाह के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पहा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहाँ उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात होगा, जो ऐसी शैति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन,

विशेष
परिस्थितियाँ में
प्रत्यय की
उपलब्धता ।

समाप्तिलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते में अनुपयोगित हैं।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा 10 के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गए हैं, वहां वह इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिस्थिति या परिस्थिति माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूँजी माल पर, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, ऐसी प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परंतु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

(6) ऐसे पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी की पूर्ति की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय निया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिंदु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परंतु जहां स्कैप के रूप में रिफैक्टरी ईंटे, सांचे और डाई, जिब्स और फिक्चरों की पूर्ति की जाती है, वहां करार्धीय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा।

19. (1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट काम के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भैंजे गए निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुग्रात करेगा।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान निवेशों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भैंजे जाने पर भी, निवेशों पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हक्कदार होगा।

(3) जहां प्रधान को, छुटपुट कार्य के लिए भैंजे गए निवेश भैंजे जाने के एक वर्ज के भीतर, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है या छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य के लिए ऐसे निवेशों की पूर्ति उस दिन किया गया था, जब उक्त निवेश भैंजे गए थे :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे निवेश भैंजे जाते हैं, वहां

छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा निवेशों के प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी।

(4) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूँजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतिष्ठि किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूँजी माल को पहले उसके कारबाह के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूँजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां प्रधान को छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूँजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वह यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूँजी माल की पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूँजी माल भेजा गया था।

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे पूँजी माल भेजा जाता है, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा पूँजी माल के प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी।

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतिष्ठि कोई बात छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिस और फिक्चरों और औजारों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

20. (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतिष्ठि हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

इनपुट सेवा
वितरक द्वारा
प्रत्यय के वितरण
की रीति।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अभीत् :—

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे व्यावेर अंतिष्ठि हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदर्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदर्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके

लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, आवर्त का अनुपाततः होगा :

(ड) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदर्भ कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संक्षिप्त आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में सक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "सुसंगत अवधि"—

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगा ;

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं ;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी याता संस्थांक वाला माल या सेवाओं या दौजों का पूरिकार अधिप्रेत है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराईय माल और ऐसे माल के, जो कराईय नहीं है, पूर्ति में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" ये संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविधि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अधिप्रेत है ।

21. जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा 20 में अंतिष्ठित उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिकर्य और प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिकर्य प्रत्यय व्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

आधिकर्य
में
वितरित प्रत्यय के
वसूली की रीति ।

22. (1) किसी राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराईय पूर्ति को करने वाला प्रत्येक प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रुपए से अधिक है :

परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराईय पूर्ति करता है, वहाँ वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रुपए से अधिक है ।

रजिस्ट्रीकरण के
लिए दायी
व्यक्ति ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ढीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुग्रहित धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा ।

(3) जहाँ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराईय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को घालू समुदाय के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, अंतरित या उत्तराधिकारी, जैसा भी नामला हो, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा ।

(4) उपधारा (1) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसा भी मामला हो, स्कॉम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निविलयन के मामले, अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए,-

(i) अभिव्यक्ति संकलित व्यापारवर्त में, कराईय व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्ति, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी मालिकों की ओर से सम्मिलित हैं;

(ii) रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार द्वारा फुटकर-काम पूर्ण करने के पश्चात् मालों की आपूर्ति, धारा 143 के निर्दिष्ट प्रृष्ठान् द्वारा मालों की आपूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों में रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार का संकलित व्यापारवर्त सम्मिलित नहीं होगा;

(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छह) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अधिग्रह तृतीय है ।

23. (1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :-

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;

(ख) कृषक, भूमि की खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक ।

व्यक्ति जो
रजिस्ट्रीकरण के
लिए दायी नहीं
है ।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।

कानूनी वाक्य
अधिनियम
रजिस्ट्रीकरण

24. धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा।—

- (i) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधीय पूर्ति करते हैं;
- (ii) कराधीय पूर्ति करने वाले आकस्मिक कराधीय व्यक्ति;
- (iii) व्यक्ति जिससे प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है;
- (iv) व्यक्ति जिससे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;
- (v) कराधीय पूर्ति करने वाले अनिवासी कराधीय व्यक्ति;
- (vi) व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं;
- (vii) व्यक्ति जो, चाहे अधिकारी के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधीय व्यक्तियों की ओर से कराधीय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते हैं;
- (viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं;
- (ix) व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्ति से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर जिससे धारा 52 के अधीन सोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से पूर्ति करता है;
- (x) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर;
- (xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से अँग लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं भारत में किसी व्यक्ति की पूर्ति करता है;
- (xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए।

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया।

25. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

परंतु आकस्मिक कराधीय व्यक्ति या अनिवासी कराधीय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के क्रम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण--प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से पूर्ति करता है,

ऐसे राज्य, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, ऐसे राज्य में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को-एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु एक राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्त, जो विहित की जाए, के अध्ययीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दावी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

(4) एक व्यक्ति जिसमें एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण ऐसे चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुमिन्न व्यक्तिके रूप में माना जाएगा।

(5) जहां एक व्यक्ति जिसने एक स्थापन की बाबत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुमिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा :

परंतु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा।

(7) उपधारा (6) में अंतिम इन्सी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधीय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किए जाए के आधार पर उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है।

(8) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दावी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है, उचित अधिकारी कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा।

(9) उपधारा (ii) में अंतिम इन्सी बात के होते हुए भी--

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व

वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौसल-कार्यालय या राजदूतावास ; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों का सेवाओं अथवा टोनों की अधिसूचित पूर्ति पर, करों का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा ।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा ।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्राप्त में जारी किया जाएगा और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो विहित किया जाए ।

(12) एक रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्या उप धारा 10 के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक द्वारा उस अवधि के भीतर अंतर्काल कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है ।

रजिस्ट्रीकरण
समझा जाना ।

28. (1) कैर्डिया नल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन धारा 25 की उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना समझा जाएगा ।

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा ।

आकस्मिक कराईया
व्यक्ति और
अनिवासी कराईया
व्यक्ति से संबंधित
विशिष्ट उपबंध ।

27. (1) आकस्मिक कराईया व्यक्ति या अनिवासी कराईया व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् कराईया पूर्ति करेगा :

परंतु उधित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराईया व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अन्यथा की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(2) एक आकस्मिक कराईया व्यक्ति या अनिवासी कराईया व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा :

परंतु जहाँ उपधारा (1) के अधीन समय का कोई विरतार चाहा गया है, ऐसा कराईया व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के

प्राककलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निशेष करेगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निशेष की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति में उपयोग किया जाएगा ।

28 (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गई है रजिस्ट्रेशन के समय या तपश्चात् ऐसे प्ररूप रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दी गई सूचना में किसी परिवर्तन को उचित अधिकारी को सूचित करेगा ।

(2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा :

परंतु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा ।

(3) यथास्थिति राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा ।

29. (1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहाँ--

(क) कारबार के किन्हीं कारणों जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समाझेल, निविलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया है;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराईय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा ।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूलक्षी तारीख से जैसा उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहाँ--

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियाँ तक विवरणी नहीं दी है; या

रजिस्ट्रीकरण का संशोधन ।

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह गास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को मुनवाई का भवमर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

(3) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधीय व्यक्ति के कर अदा करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्य या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना सनज्ञा जाएगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया है, इन्हेकहाजिल प्रत्यय खाता या इन्हेकहाजिल नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित निवेश के संबंध में इनपुट कर और स्टाक में धारित अर्द्ध-नैया या तैयार माल में अंतर्विष्ट निवेश या पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए सुनिश्चित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर, जो भी अधिक हो, के प्रत्यय के समतुल्य है:

परंतु पूँजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधीय व्यक्ति उक्त पूँजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से प्रकलित की जाएगी

30. (1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाए, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

रजिस्ट्रीकरण के
रद्दकरण का
प्रतिसंहरण।

परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा।

अध्याय 7

कर बीजक, जमा पत्र और नामे लौट

31. (1) कराधीय मालों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय से पहले कर बीजक।

या उस पर,-

(क) प्राप्तिकर्ता की पूर्ति, जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाएगा; या

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों का परिदान करेगा या प्राप्तिकर्ता को उसको उपलब्ध कराएगा, वर्णन, परिमाप और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा ऐसे समय में और ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, मालों या पूर्तियों के प्रवर्गों जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कराधीय सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के उपबंध के पूर्व या पश्चात् परंतुक विहित अवधि के भीतर वर्णन, और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए संगठनों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में -

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं हो।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से, उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक, प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरावलोकित बीजक जारी कर सकेगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अध्यधीन रहते हुए, मालों या सेवाओं या दोनों पूर्तियों का मूल्य दो गाँ-रूपए से कम है;

(ग) कूट प्राप्त नालों और सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर अदा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टताएँ अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक बिल जारी करेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, पूर्ति का बिल जारी नहीं करेगा, यदि पूर्ति किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित का जाए, दोनों रूपए से कम है :

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अधिक संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाए कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा :

(ङ) जहां माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के संबंध में अधिक की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परन्तु पश्चात्वर्ती कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें सदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर सदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा :

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर सदत्त करने के लिए दायी है, पूर्तिकार संदाय वाउचर जारी करेगा ।

(4) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में जहां लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्विलित हैं, वहां बीजक प्रदाता ऐसे विवरण के जारी करते समय या उससे पूर्व या यथारिति, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा ।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्याधीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में—

(क) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ख) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां बीजक जब सेवाओं का पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है, के समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति समाप्त हो जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब

पूर्ति समाप्त होती है और ऐसा बीजक ऐसी समाप्ति से पूर्व प्रभावित पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा ।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहा या लिया जा रहा माल पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक आपूर्ति के समय या उससे पूर्व अश्वा हटाए जाने की तारीख से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए “कर बीजक” पद के अंतर्गत पहले की गई पूर्ति के संबंध में पूर्तिकार द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक होगा ।

32. (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संग्रहीत नहीं करेगा ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

33. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य तिथि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों में कर बीजक और अन्य ऐसे अन्य दस्तावेज, टैक्स की रकम जो उस मूल्य का आग होनी जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है प्राप्तु उपदर्शित करेगा ।

34. (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभावित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी पूर्ति के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां पूर्तिकार द्वारा पूर्ति किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति की है पूर्तिकार को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं से अंतर्विष्ट जगमपत्र जारी कर सकेगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है । ऐसे जमा पत्र के द्वारा उस मास की विवरणी में धोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा साथ पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात् सितंबर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी काइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा ।

परंतु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और व्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुजात नहीं की जाएगी ।

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर कर योग्य मूल्य या ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

कर के अप्राधिकृत रंगाण का प्रतिवेद्य ।

कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम ।

जमा और नाम पत्र ।

जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है प्राप्त कर्ता को ऐसी विशिष्टियाँ जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामेपत्र के ब्यौरे उस भास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में जो विहित की जाए में समायोजित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “नामे पत्र” पद के अंतर्गत पूरक बोजक हैं।

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

लेखे और अन्य
अभिलेख।

35. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित—

- (क) माल के उत्पादन और विनिर्माण ;
- (ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति ;
- (ग) माल का स्टाक ;
- (घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय ;
- (ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर ; और
- (च) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं,

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार के स्थान विनिर्दिष्ट किए गए हैं वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के उनकी स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भांडागण के लिए उपयोग में लाया गया किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑफरेटर और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा।

(4) जहां आयुक्त समझाता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की दशा में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुग्रात कर सकेगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहाँ उचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संटेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

36. धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुप्रसित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणों फाइल करने की नियम तारीख से 72 मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगा :

परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है या अद्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो भी पश्चात्वर्ती हो के लिए प्रतिधारित करेगा।

अध्याय 8

विवरणियाँ

37. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा

10. धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संतुलत करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की की गई जावक पूर्तियों के ब्यारे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती 10वें दिन से पूर्व या को देगा और ऐसे ब्यारे उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन से 15वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यारे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि आयुक्त कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिभूतना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यारे

लेखों के प्रतिधारण
की अवधि ।

जावक पूर्तियों के
ब्यारे देना ।

देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और भी कि कुट्टीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन व्यापैर या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित व्यापैर संसूचित किए गए हैं 17वें दिन से पूर्व या को इस प्रकार संसूचित व्यापैर को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व नहीं तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए व्यापैर तदनुसार संशोधित होंगे ।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन व्यापैर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पला लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रिप्पोर्ट में जो विहित की जाए सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दो जाने वाले विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और व्यापैर, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे व्यापैर संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या मुसँग वार्षिक विवरणी देते हुए जो भी पूर्वतर हैं उपधारा (1) के अधीन दिए गए व्यापैर के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "जावक पूर्तियों के व्यापैर" पद के अंतर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नाम पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के व्यापैर हैं ।

आवक पूर्तियों के व्यापैर देना ।

38. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10 धारा 51 या धारा 52 के उपबद्धों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के व्यापैर तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों से रोकथित व्यापैर सम्बन्धित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपातरित करेगा या हटाएगा और उसमें ऐसी पूर्तियों जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा घोषित नहीं की गई हैं, के संबंध में प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के व्यापैर सम्बन्धित कर सकेगा ।

1975 का 51

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबद्धों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इन्डेप्रूडिक्शन रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियां, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय हैं तथा समन्वित माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियां या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन समन्वित माल और सेवा कर संदेय हैं तथा कर अवधि के दौरान 10वें दिन के पश्चात् परतु कर अवधि के उत्तरवर्ती नास के

15वें दिन से पूर्व या को ऐसे प्रस्तुत और रीति में जो विहित की जाए, ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पर्याँ के ब्यारे देगा :

परंतु आयुक्त, कारणों को लिखत में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यारे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्भिलित की गई पूर्तियों के और उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यारे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्भिलित की गई पूर्तियों के ब्यारे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (2) के अधीन ब्यारे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बै-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगाने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यारे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर हैं, उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यारे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

विवरणीया देना ।

39. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टिया और ऐसे कलेंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के छोल्डे दिन से पूर्व या को ऐसे प्रस्तुत और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्रस्तुत में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, कोई माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और संदत्त कर की किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के छोल्डे दिन से पूर्व या को ऐसे प्रस्तुत और रीति में जो विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 18 दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदत्त करेगा ।

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन ओत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रस्तुत और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रस्तुत और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए अपेक्षित कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर की गई है, की जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर की गई है, की

विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में देगा।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक करयोग्य व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् 13 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलेंडर मास के अंत के पश्चात् 20 दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(6) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिविधित करते हुए, अधिसूचित द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणिया देने के लिए समय-सीना विस्तारित कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीना का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे भाल या सेवा या दोनों कोई पूर्ण ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं।

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा सवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवतीन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्वयथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन व्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुजात नहीं किया जाएगा।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुजात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है।

40. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के प्रथम विवरणी।

लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक पूर्तियाँ की हैं रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा।

41. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्ती और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक जमा बही में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में लिंडिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा।

42. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा जाया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरे -

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "पूर्तिकार" कहा जाया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन संदर्भ समन्वित माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए,

मिलान किया जाएगा।

1975 का 51

(2) उस आवक पूर्ति, जो तत्स्थानी जावक पूर्ति के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में संदर्भ समन्वित माल और सेवा कर के साथ निलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(3) जहाँ आवकपूर्ति के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी पूर्ति के लिए पूर्तिकार द्वारा घोषित कर से अधिक है या पूर्तिकार द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणीयों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है, वहाँ अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(5) कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में पूर्तिकार द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के

इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति।

इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उत्तराव और वापस लेना।

कारण आधिकथ पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि पूर्तिकार धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट संगठनीयता के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्णन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदर्भ ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलैक्ट्रोनिकी रोकड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा :

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम पूर्तिकार द्वारा संदर्भ ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

आउटपुट कर
दायित्व का
मिलान, प्रतिमान
और प्रतिदाय।

43. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "पूर्तिकार" कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए आपूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरों का ऐसी रीति में और ऐसे संग्रह के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जाएगा—

(क) लत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी करावधि या भान्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में : और

"(ख) आउटपुट कर दायित्व में कभी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए।

(2) पूर्तिकार द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कभी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कभी से मिलान करता है, को अंतिमतः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार को दी जाएगी।

(3) जहां बाहर के लिए पूर्तियाँ के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कभी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कभी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी प्रत्यय टिप्पण की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणी में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना पूर्तिकार को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों की आवर्ती के लेखे पाई जाती है, को पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवर्ती संसूचित की जाती है।

(7) पूर्तिकार अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्याय टिप्पण के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहाँ उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहाँ उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का पूर्तिकार को उसकी इलेक्ट्रॉनिकी रोड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा:

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को पूर्तिकार की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा पूर्तिकार इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

वार्षिक विवरणी।

44. (1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक करार्धीय व्यक्ति और अनिवासी करार्धीय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिकी रूप से ऐसे प्रस्तुत और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के पश्चात् 31 दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखांकों की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखांकों की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में

घोषित पूर्तियों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

अंतिम विवरणी ।

45. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

विवरणी
व्यक्तिगतियों को
सूचना ।

46. जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39, धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब वहाँ पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

विलंब फीस का
उदाहरण ।

47. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित बहिर्गमी या अंतर्गमी पूर्तियों या धारा 39 या धारा 45 के अधीन के व्यौरै सम्यक तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह संघ हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए विलंब फीस का संदाय करेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक तारीख तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य या संघ राज्यदेश में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा।

माल और सेवा
कर व्यवसायी ।

48. (1) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पावता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा अन्य शर्तें, जो उनके कार्य करने के लिए सुरक्षित हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन बहिर्गमी पूर्तियों के व्यौरै धारा 38 के अधीन अंतर्गमी पूर्तियों के व्यौरै और धारा 39 या धारा 44 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी दबाश प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य व्यौरै के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और व्यौरै प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्याय 10

कर संदाय

49. (1) किसी व्यक्ति दबाश इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समय निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग

कर, व्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय।

द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कर, व्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में प्रत्यय किया जाएगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वां निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा।

(3) इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेश कर, व्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(4) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में निम्नलिखित के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम—

(क) एकीकृत कर का पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस रकम में संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ख) केंद्रीय कर का पहले उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ग) राज्य कर का पहले उपयोग, राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का पहले उपयोग संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ङ) केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेश कर, व्याज, शास्ति, फीस या संदेश किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रोकड़

बही या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में शेष का धारा 54 के उपर्यों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधीय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलैक्ट्रानिकी उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए अनुरक्षण किया जाएगा।

(8) प्रत्येक कराधीय व्यक्ति इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

(क) स्वयं निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्यः

(ख) स्वयं निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्यः

(ग) इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन संटेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदर्भ किया है जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को परित कर दिया है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में जमा करने की तारीख समझा जाएगा;

(ख) पद,—

(i) "कर शोध्य" से इस अधिनियम के अधीन संटेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं हैं; और

(ii) "अन्य शोध्य" से इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन संटेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है।

50. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपर्यों के अनुसारण में कर का संदाय करने का दावी है, किन्तु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दोसरा कर या उसका कोई भाग असंदर्भ रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की रिकारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा।

छिन्नित कर संदाय पर ब्याज।

(2) उपराहा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्तरी दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(3) कोई कराधीय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपराहा (10) के अधीन इनपुट कर

प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित लौंडीग्रा प्रतिशत से अनधिक दर पर व्याज का संदाय करेगा।

51. (1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार,--

स्रोत पर कर कटौती।

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को ; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को ; या

(ग) सरकारी अधिकरणों को ; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “कटौतीकर्ता” कहा गया है, को पूर्तिकार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “जिससे कटौती की गई है” कहा गया है) को कराधीय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को किए गए संदाय या किए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसा पूर्ति का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परंतु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि आपूर्ति का स्थान और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्तिकार का स्थान, जो कि यथास्थिति, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है।

स्पष्टीकरण—पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए आपूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा।

(3) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदेत्ता रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिसकी कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।

(5) जिसकी कटौती की जा रही है वह अपने इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में कटौती किए गए और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शीत कर के प्रत्यय का दावा करेगा।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

(8) अधिक्य या बुटिपूर्ण कटौती के माझे उदभूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिसकी कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय से धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में ब्यौहार किया जाएगा :

परन्तु कटौतीकर्ता को किसी प्रतिदाय को अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम का, जिसकी कटौती की जा रही है, की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में प्रत्यय कर दिया गया है।

ओत पर कर का
संग्रहण।

52. (1) इस अधिनियम में तत्पत्तिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रचालक" कहा गया है), जो अधिकर्ता नहीं है, एक रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य पूर्तिकारओं द्वारा की गई कराईये पूर्तियों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अलंकित दर पर की जाएगी, जहाँ ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से जिन्हे "कराईये पूर्तियों का शुद्ध मूल्य" से मालों या सेवाओं की कराईये पूर्तियों या दोनों जिनकी सभी रजिस्ट्रीकूत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा आपूर्ति की गई है, से उक्त मास के दौरान पूर्तिकारओं द्वारा वापस लौटाइ गई कराईये पूर्तियों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गमी पूर्तियों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति हैं तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम के व्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी

रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गमी पूर्तियाँ, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संगृहित रकम के व्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी शीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् 31 दिसंबर से पूर्व इन्डेक्ट्रानिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियाँ पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर्मानुसारी विधियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न हैं तो वह ऐसे उस नास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियाँ ध्यान में आई हैं, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के सदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा:

परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुजात नहीं किया जाएगा।

(7) पूर्तिकार, जिसने प्रचालक के माईयम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, संगृहित रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी शीति में, जो विहित की जाए, अपनी इन्डेक्ट्रानिकी रोकड़ बही में प्रत्यय का दावा करेगा।

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत पूर्तिकारों के व्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकूट संबंधित पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत बहिर्गमी पूर्तिकारों के तत्स्थानी व्यौरों के साथ ऐसी शीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गमी पूर्तिकारों के व्यौरों धारा 37 के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी व्यौरों के साथ मिलान करते हैं तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी शीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी।

(10) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको पूर्तिकारों द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त पूर्तिकार के आउटपुट कर द्वायत्व में वह ऐसी शीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गमी पूर्तियों का मूल्य पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत बहिर्गमी पूर्तियों के मूल्य से उस मास के पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, अधिक है।

(11) संबंधित पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा पूर्ति के संबंध में ब्याज सहित कर का संदाय धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक करेगा।

(12) उपायुक्त के रैंक से अन्यथा वोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे व्यावे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा—

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दीनों की पूर्ति ; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से पूर्ति कर रहे पूर्तिकारों द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे जात हों, धूत मालों का स्टाक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे पूर्तिकारों ने जिसकी कारबाह के अंतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है,

जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कारवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकती।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ‘संबंधित पूर्तिकार’ पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दीनों की आपूर्ति करने वाला पूर्तिकार अभिप्रेत है।

53. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर शोध्य के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमाल्य विवरणों में उपदर्शित है, ग्रन्त कर के रूप में रंगहित रकम को इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम से घटा दिया जाएगा और ग्रन्त सरकार ग्रन्त कर लेखे से इस प्रकार छाई गई रकम के सन्तुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी।

इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण।

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर सदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह मुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर प्रतिदाय।

कर सकेगा :

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रोनिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।

1947 का 46

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अधिकरण या कोई अन्य बहुपर्दीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गती पूर्तियों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्राप्त और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें प्रतिदाय के लिए ऐसे प्राप्त और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें आपूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा।

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

परंतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुजात नहीं किया जाएगा—

(i) कर का संदाय किए दिना की गई शून्य दर पूर्ति ;

(ii) जहां इनपुट पर कर की दर मई सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी पूर्तियों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है :

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुजात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन हैं :

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुजात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केल्डीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) यह सावित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है ; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 33 में लिंटिष्ट दस्तावेज हैं) जैसा कि आवेदक यह सावित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी

रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है। उस रकम को उससे एकवित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है :

परंतु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रुपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का आर किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है ।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा ।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद की मिकारिशॉ पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे पर्वती से मिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालौं या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालौं या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिम स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नव्वे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों परिसीमाओं और सुरक्षापार्यों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्बन्ध सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शून्य अंकित मालौं या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित पूर्तियों के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय ;

(ख) उपधारा (3) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय ;

(ग) आपूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्ति या भागत उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय बातचर जारी किया गया है ;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(इ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया हो ; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज ।

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(10) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय देणा है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील आधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा ;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, कोस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधीय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदर रहती है, कठौती कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट तारीख” से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है ।

(11) जहाँ किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहाँ इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधीय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा ।

(12) जहाँ उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा 56 में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधीय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है ।

(13) इस धारा में अंतविष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी नैमित्तिक कराधीय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधीय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिग कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की भवित्ति के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी हैं ।

(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रुपर से कम है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(1) "प्रतिदाय" में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या ऐसे शून्य दर पूर्तियों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की आपूर्ति पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथाउपर्युक्त उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय समिक्षित है।

(2) "मुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, धरास्थिति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदर्भ कर का प्रतिदाय उपलब्ध है।—

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वड वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

(iii) यदि मालों का निर्यात ड्राक द्वारा किया जाता है तो संबंधित ड्राकधर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख :

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की आपूर्ति की दशा में जहां संदर्भ कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदर्भ कर का प्रतिदाय, धरास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की आपूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है ; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अंग्रेज में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राप्तिकरण, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, उक्ति, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, उक्ति, आदेश या निदेश की तारीख ;

(ङ) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की

दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस आधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख ;

(छ) पूर्तिकार से डिल्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख ।

55. सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर संदर्भ कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे ।

1947 का 46

56. यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा :

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायिणीयक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली नीं प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन सनुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा ।

उपभोक्ता कल्याण
निधि ।

57. सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा—

कलिपय मालों में
प्रतिदाय ।

विलंबित प्रतिदाय पर
ब्याज ।

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम ;

(ख) निधि में प्रत्यय की गई रकम के विनिधान से कोई आव ; और

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियाँ ।

निधि का उपयोग । 58. (1) निधि में प्रत्यय की गई सभी राशियाँ का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा पृथक् अग्रिम रखेगा तथा लेखाओं का एक वांचिक विवरण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार करेगा ।

आध्याय 12

निर्धारण

स्वतः निर्धारण ।

59. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय कर्ता का स्वतः निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

अनंतिम निर्धारण ।

60. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराईय व्यक्ति मालौं या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ हैं तो वह समुचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नव्वे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा ।

(2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराईय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित की जाए, और ऐसा प्रतिशूल या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराईय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता है ।

(3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश परित करेगा :

परंतु इस उपधारा ने विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा घार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालौं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किंतु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा 39 की उपधारा (7) या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के

अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त आपूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा वह ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो ।

(5) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित प्रतिदाय का संदाय किया जाएगा ।

61. (1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और सबैधित विशेषियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हो, की ऐसी रैति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, मुद्धारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोधियों का अवधारण करने के लिए अवधारण का भीतर निर्धारण करने होगा ।

विवरणियों को
फाइल न करने
मालों का निर्धारण
।

62. (1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्परिक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अवधारण करना तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदर्भ कर सबैधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पाच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।

(2) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फ़ीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा ।

अरजिस्ट्रीकृत
व्यक्तियों का
निर्धारण ।

63. धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहाँ कोई करार्यव्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर

विवरणियों की संलीक्षा ।

दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपज्ञोऽसर्वोत्तम लिखेंगे और उपतव्य तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अव्यसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदर्भ कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा ।

कर्तव्य प्रियो
मालाँ में त्वरित
निर्धारण ।

64. (1) सनुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदशित करने वाले सक्षग्य को जाने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अव्यसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परंतु कराधीय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालाँ की आपूर्ति के संबंध में है तो ऐसे मालाँ के प्रभावी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधीय व्यक्ति समझा जाएगा और वह वर का और इस धारा के अधीन शोध्य अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधीय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश चुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर लेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

65. (1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकता ।

कर प्राधिकारीयों द्वारा
लेखापरीक्षा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकते ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

परंतु जहाँ आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के

संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उह मास से अन्यथिक और कालावधि के बिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “लेखापरीक्षा का आरंभ” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ पर, कारबार के स्थान, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों, में उपलब्ध करा दिए जाते हैं।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,--

(i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करना;

(ii) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्ष, उसके अधिकारी और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदर्भ लिए जाने या ब्रुटिश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

66. (1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यालयों के प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह भत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्ण अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टड लेखाकार या लागत लेखाकार, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निर्देश दे सकेगा।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टड लेखाकार या लागत लेखाकार नव्वे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्बन्धित हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा :

परंतु सहायक आयुक्त उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्कालिक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नव्वे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के उपर्यंथ इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत

व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विलुप्त किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में मुनो जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा व्यय, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा।

(6) जहाँ उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदर्भ किए जाने या ब्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अधिवृहण और गिरफ्तारी

निरीक्षण, तलाशी और अधिवृहण की शक्ति।

67. (1) जहाँ संयुक्त आयुक्त की पक्षित से अन्यून समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) जहाँ किसी काराधीय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या अपने पास रखे गए मालों के स्टाक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को काराधीय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जहाँ संयुक्त आयुक्त की पक्षित से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिवृहण के लिए दायी कोई भाल या कोई दस्तावेज या बहियाँ या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी

अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अधिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे व्यौहार नहीं करेगा :

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियों या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्रवाहियों के लिए आवश्यक हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियों या चीजें या कराईय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बहियों या चीजें जिन पर इस अधिनियम या तदीन बनाए गए लियनों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनंदिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेख, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोल सकेगा ।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अधिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसे अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेने का हकदार होगा ।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए, या यथास्थिति, लागू कर, व्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनंदिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा ।

(8) सरकार मालों के नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति समय के साथ मालों के

मूल्य में अवक्षयण, मालों के सिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे बगे को, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (2) के अधीन अभियाहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् निपटान किया जाएगा, घोषित कर सकेगी।

(9) जहां कोई माल, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट नाम है, जिनका समुचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अभियाहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा।

(10) तलाशी और अभियाहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभियाहण को इस उपातरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 उपधारा (5) में "जिस्ट्रेट" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रख दिया गया था।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभियाहण कर सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी किसी करार्डे व्यक्ति के कारबार परिसर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए कारबार परिसर के बीजकर्मी के जारी करने या आपूर्ति बिलों की जांच करने के लिए क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति मालों के लिए इस प्रकार संदर्भ रकम का पूर्व में जारी किए गए आपूर्ति के लिए कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा।

68. (1) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा प्रवहन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परेषण का प्रवहन को ने जाए जाने वाले प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यांरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहन को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा मालों के निरीक्षण को भी अनुजात करने का दाया होगा।

1974 वा 2

संचलन में मालों का निरीक्षण।

69. (1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करित किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

गिरफतार करने की शक्ति।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफतार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफतार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को गिरफतारी के आधार से सूचित करेगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन रहते हुए:-

1974 वा 2

(क) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफतार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अवैधित किया जाएगा;

(ख) असंबंधीय और जमानतीय अपराध की दशा में उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफतार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वहीं शक्तियाँ होंगी और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं।

व्यक्तियों को साथ देने और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए जमानत करने की शक्ति।

70. (1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को सम्मन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी बस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होती है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है।

1908 वा 5

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत 'न्यायिक कार्यवाहियाँ' समझा जाएगा।

1860 वा 45

71. (1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकूट व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियाँ, दस्तावेज़ों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, कंप्यूटर सफ्टवेयर चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर किसी लेखापीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों के मुक्कोपाय के लिए आवश्यक हो, पहुंच होती।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड लेखाकार को निम्नलिखित-

(i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकूट व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा

गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है ;

(ii) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य ;

(iii) सम्बन्धित लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहां अपेक्षित हो ;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा 2013 का 18 रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और

(v) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44क्ष के अधीन आय-कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और 1961 का 43

(vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, से पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा ।

समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए
अधिकारी

72. (1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्त के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी और केंद्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे ।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा कर सकेगी ।

अध्याय 15

मांग और वसूली

73. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से बिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवर्गन के लिए जानबूझकर कोई भिन्न कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से बिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवर्गन के लिए जानबूझकर कोई भिन्न कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपर्योग करने के लिए सूचना की तात्त्वीकरण किया जाए, जिसका उपयोग व्यक्ति को हेतुक उपर्योग करने के लिए सूचना की तात्त्वीकरण करने के लिए अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तदील बनाए गए नियमों के उपबंधों

असदृत कर या कम्बल संदर्भ या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत लीके से लिए गए या कपट से बिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर भिन्न कथन या छिपाये गए कर का उपयोग-

के अधीन उद्यग्हणीय शास्ति का संदाय करे ।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदर्भ न किए गए कर या कम संदर्भ किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से जिन्हें के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतविष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेश व्याज के साथ कर की एकम का अपने नवं देश के ऐसे कर के निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण की इस प्रकार संदर्भ कर या इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेश किसी शास्ति के लिए तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदर्भ रकम वास्तविक रूप से संदेश रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेश रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबधित सूचना जारी करने के लिए अव्यसर होगा ।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेश व्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेश नहीं होगी और उक्त सूचना के सबैं में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर दिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अङ्गावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, व्याज और शास्ति की कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, को ऐसे व्यक्ति से शोध्य अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा ।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, जिसके लिए कर संदर्भ नहीं किया गया था या कम संदर्भ किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्त्र वहाँ संदेश होगी जहाँ स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

असदत्त कर या कम संदत्त या ब्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का लज्जाकर लिखा कथन या लिप्त लिखा करते हुए किए गए लिखा कर अपवचन के लिए जानबूझकर कोई निर्धार्य कथन किया गया है या कम संदाय किया गया है या ब्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट से उपयोग किया गया है या कर अपवचन के लिए जानबूझकर कोई निर्धार्य कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या ब्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उपयोग किया गया है या कर अपवचन के लिए जानबूझकर कोई निर्धार्य कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेश ब्याज और इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपर्योग के अधीन उद्वग्नीय शास्त्र का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छह मास पूर्व जारी करेगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी भंडत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या ब्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से जिन्हें के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के व्यारों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जाएगा कि उक्त विवरण में अवलंब लिए गए आधार सिवाय कपट के आधार के या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से जिन्हें कर अपवचन के लिए किसी जानबूझकर लिखा कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन संदेश ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्वयं निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्त्र का संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपर्योग के अधीन संदेश किसी शास्त्र के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा।

(7) जहाँ समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम

वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अवधार होगा।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अद्वावेदन, यदि कोई हो, पर विधार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिए कर संदर्भ नहीं किया गया था या कम संदर्भ किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, तो क्रिटिकल प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों” में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियों सम्मिलित नहीं होंगी :

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछह अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “छिपाना” पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधीय व्यक्ति से इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा।

कर अवधारण के संबंध में राधारण उपबंध ।

75. (1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2)

और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा।

(2) जहाँ कोई अपील प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवर्चन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध संबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह भानते हुए अवधारण करेगा कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी।

(3) जहाँ अपील प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

(4) सुने जाने के अवसर को वहाँ अनुदत्त किया जाएगा जहाँ कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहाँ ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है।

(5) समुचित अधिकारी यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :

परंतु ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के द्वारा जिसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

(6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों का अधिकरण करेगा।

(7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी।

(8) जहाँ अपील प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी।

(9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा यदि कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।

(11) कोई विवादक, जिस पर अपील प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कोई अपील लंबित है तो अपील प्राप्तिकारी और अपील प्राप्तिकारी के विनिश्चय की तारीख

के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहाँ अपवर्जित किया जाएगा जहाँ कार्यवाहियाँ उक्त धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणों के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदर्भ रहती है या ऐसे कर पर सारेय व्याज की कोई रकम असंदर्भ रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी।

(13) जहाँ धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

76. (1) अपील प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह प्रदाय, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधीय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय कर्त्ता नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्ता नहीं की जानी चाहिए।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तानील की गई है, के अङ्ग्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संगृहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख के लिए व्याज का संदाय करने का भी दायी होगा।

(5) वहाँ सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा जहाँ ऐसे व्यक्ति से, जिसको हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

(6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश

संगृहित किन्तु सरकार को संदर्भ न विद्या गता कर।

जारी करेगा।

(7) जहा आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की समानता करने में अप्रवृत्ति किया जाएगा।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विजिशय के सुसंगत कारणों को अधिकृत करेगा।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकार को संदर्भ रकम का उपधारा (1) में जिर्दिष्ट पूर्तियाँ के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेश भर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा।

(10) जहा उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिकाय शेष बचता है तो ऐसे आधिकाय की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को छुकाया है।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को छुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकता।

गलती से समृहित विषय लगा और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदर्भ किया गया कर।

77. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतःराज्य आपूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और सघ राज्यक्षेत्र कर संदर्भ किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतःराज्य आपूर्ति अधिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदर्भ रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतःराज्य आपूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदर्भ किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतःराज्य आपूर्ति अधिनिर्धारित किया गया है, से, यथास्थिति संदेश केन्द्रीय कर और सघ राज्यक्षेत्र पर केन्द्रीय कर और राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।

78. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराईये व्यक्ति द्वारा संदेश किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तानील की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदर्भ किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरम्भ की जाएंगी:

वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना।

परन्तु जहां समुचित अधिकारी गजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराईये व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

79. (1) जहां इस अधिनियम या तहीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेश किसी रकम को संदर्भ नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अव्यसर होंगा, अर्थात् :-

कर की वसूली।

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन हैं :

(ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने वाली वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन हैं, वसूली करेगा ;

(ग) (i) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के लिये धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप से धन धारण करता है, सरकार को तुरंत धन शोध्य होने पर या उसके द्वारा धारण किए जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व की नहीं होती, उतने धन को, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को संदाय करने के लिए या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपर्युक्त (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आदद होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पातिस्थिती या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ;

(iii) किसी व्यक्ति को, जिसे उपर्युक्त (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस नियम या तद्दीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे ;

(iv) उपर्युक्त (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ;

(v) उपर्युक्त (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निवेदन समझा जाएगा ;

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपर्युक्त (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के विस्तार तक या कर, ब्याज और शास्त्रि, इनमें से जो भी कम हो, व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक सरकार के प्रति दायी होगा ;

(vii) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उपखंड (i) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई आग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोष्य नहीं था या न ही वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लेखे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण कर रहा था, और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी आग के उस व्यक्ति से शोष्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे धारण किए जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके आग की सरकार को संदाय करने के लिए तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा होगी;

(घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी ज़ंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई आग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगती संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदत्त लागत है और आधिकाय लागत को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा :

(इ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोष्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबाह करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अवासर होगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था ;

1974 का 2

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए शी समुचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अवासर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित था :

(2) जहां इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों या तदीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखित यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन शोष्य किसी रकम को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

(3) जहां कर, व्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है तो राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह कँटील कर का बकाया थी और

इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में प्रत्यय करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा ।

80. किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वतः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम के संदाय को धारा 50 के अधीन व्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुमति कर सकेगा :

कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय ।

परंतु जहां किसी सम्बद्ध तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय सभी बकाया शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तानील किए बिना वसूली का दायी होगा ।

81. जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उससे संबंधित या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंधक रखने, विनियम या किसी अन्य विधि से अंतरण घाटे, जो भी हो, द्वारा किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के अपने किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शूल्य होगा :

कठिय मामलों में संपत्ति अंतरण का शूल्य होना ।

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शूल्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सदावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबन पर बिना किसी सूचना के या ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय अन्य राशि या समुचित अधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा से किया जाता है ।

2016 का 31

82. तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता सहिता, 2016 में अन्यथा उपबंधित के किसी कराधीय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, व्याज या शास्ति के लेख संदेय 'कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधीय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा ।

कर का सफल पर पहला प्रभार होना ।

कठिय मामलों में राजस्व के सरकार के लिए अनंतिम कुर्सि ।

83. (1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह नह त है कि सरकारी राजस्व के हित का सरकारण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधीय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत दोक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा ।

(2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा ।

कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जरी रहना और विधिमालाकरण।

84. जहाँ इस अधिनियम के अधीन संदेश किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधीय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं तब—

(क) जहाँ ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधीय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियों, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियों ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी;

(ख) जहाँ सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो—

(i) आयुक्त के लिए कराधीय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लेवित हैं, संसूचना देगा;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उत्ती प्रक्रम से, जिस पर जहाँ वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी।

अध्याय 16

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

85. (1) जहाँ कोई कराधीय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः विक्रय, उपहार, पहा, इजाजत और अनुजरिति, भाटक या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधीय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथकः पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधीय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किंतु जो असंदर्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा।

कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व।

(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से बताता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा आपूर्त किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का और गटि वह इस अधिनियम

के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है और विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करता है, दायी होगा।

86. जहाँ कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराईये वस्तुओं की आपूर्ति करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथकः इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेश कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे।

87. (1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों की या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसा पूर्ति और प्राप्ति के संबंधवहारों को संबंधित कंपनियों के आपूर्ति या प्राप्ति कारबाहर में सम्मिलित किया जाएगा और वह तदनुसार कर का संदाय करने की दायी होगी।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए सुमिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा।

88. (1) जब कोई कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धरा में इसके पश्चात् “परिसमापक” कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा।

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मिलने के पश्चात् जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा संदेश है या संदेश हो जाती है, अधिसूचित करेगा।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे परिसमापक के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध रहा है, के दौरान कंपनी का निदेशक या, संयुक्त रूप से और पृथकः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंधीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

के निदेशकों का
दायित्व ।

किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) जहाँ प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी से संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी ।

फर्म के आगीदारों
का कर का संदाय
करने के लिए
दायित्व ।

90. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिक्रिय किसी संविदा के होते हुए भी, जहाँ कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक आगीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा :

परन्तु जहाँ कोई आगीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त आगीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संशोधित करेगा और ऐसा आगीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नहीं, दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुके के अधीन ऐसे आगीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है ।

91. जहाँ कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेश है, को किसी अन्यव्यय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अभिरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे अभिरक्षक या न्यासी या अभिरक्षक पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्घाटित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

92. जहाँ किसी कराधीय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई

कालिक्रातों, न्यासियों
आदि का दायित्व ।

परिपालन अधिकरण

अंदि जा दायित्व ।

कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधीय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से जात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस पर उद्यग्हित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधीय के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधीय व्यक्ति इसका कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तर्फीन बनाए गए नियमों के उपर्युक्त तदनुसार लागू होंगे ।

2016 का 31

93. (1) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, तब—

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदर्त्त या अवधारित किया गया है ।

(2) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहाँ कोई कराधीय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के ढलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथकः इस अधिनियम के अधीन कराधीय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदर्त्त रह गया है

कराधीय ममलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध ।

(3) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहाँ कोई कराधीय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति, जो आगीदार था, संयुक्त रूप से या पृथकः इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदर्त्त रह गया है

2016 का 31

या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

(4) दिवाली और धन शोधन अलगता सहित, 2016 में उपबंधित के शिवाय, जहां कोई करार्थीय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है।—

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है ; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही करार्थीय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किंतु जो असंदर्भ रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

अन्य लागतों में
दृष्टित्व।

94. (1) जहां करार्थीय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है।—

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तरीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेश कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा भागी कारबार को जारी न रखना हुआ ही न हो ; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह करार्थीय व्यक्ति था।

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के आगीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होंगे।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, करार्थीय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, वो या करार्थीय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा।

2016 का 31

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

2009 का 6

(i) “सीमित दायित्व आगीदार” जिसे सीमित दायित्व आगीदार अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा ;

(ii) “न्यायालय” से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है।

अध्याय 17

अधिम विनिर्णय

95. इस अध्याय में जब तक कि संटर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

परिभाषाएँ ।

(क) “अधिम विनिर्णय” से किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में मालौं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अधिम विनिश्चय अभिप्रेत है;

(ख) “अपील प्राधिकारी” से धारा 99 के अधीन गठित अधिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “आवेदक” से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) “आवेदन” से धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) “प्राधिकारी” से धारा 96 के अधीन गठित अधिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है :

96. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा झारखण्ड अधिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से जात एक प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) प्राधिकारी, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

(i) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ; और

(ii) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य.

जिन्हें क्रमशः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) सदस्यों की अहतारं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अधिम विनिर्णय

97. (1) इस अध्याय के अधीन अधिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने

के लिए आवेदन ।

वाला आवेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अधिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन करेगा ।

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अधिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा--

- (क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण ;
- (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ;
- (ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण ;
- (घ) संदर्भ या समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञयता ;
- (ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण ;
- (च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की आपेक्षा है ;
- (छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बराबर या उनकी आपूर्ति के रूप में होता है ।

आवेदन से प्राप्ति
की प्रक्रिया ।

98. (1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अंग्रेजित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा :

परंतु किसी मामले में जहां प्राधिकरण द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा ।

(2) प्राधिकरण आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा :

परंतु प्राधिकरण वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा ।

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विळिटिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक

या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकरण द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा की जाएगी।

(5) जहां प्राधिकरण, प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर सत्त्वेद रखते हैं, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की इच्छा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वह सत्त्वेद रखते हैं और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नव्वे दिन के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा।

(7) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्मत हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी।

99. (1) सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय के विशद अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वारा झारखण्ड माल और सेवाकर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से जात एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी जो लिम्नालिखित से सिलवर बनेगा—

(i) ब्रॉड द्वारा यथा अभिवित केंद्रीय कर मुद्य आयुक्त : और

(ii) राज्य कर आयुक्त :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य या संघ राज्यकान्त में अवस्थित किसी अपील प्राधिकारी को किसी राज्य के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

100. (1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यक्ति संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको इन्हिसत विनिर्णय के विशद की गई अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु अपील प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नव्वे दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुजात कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फॉर्म के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए।

101. (1) अपील प्राधिकारी अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश परित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश

अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन।

अपील प्राधिकारी की अपील।

अपील प्राधिकारी के आदेश।

या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपातरित करने के लिए उचित समझे।

(2) उपधारा (21) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(3) जहाँ अपील प्राप्तिकारी के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मतैक्य रखते हैं और यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन पश्न के संबंध में कोई अधिम विनिर्णय जारी नहीं किया गया है।

(4) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उदघोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्मत हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, अपील प्राप्तिकारी द्वारा ऐसी उदघोषित अधिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी।

अधिम विनिर्णय
की परिशुद्धि।

102. प्राप्तिकारी या अपील प्राप्तिकारी धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों को ठीक किया जा सके, गदि ऐसी गलती प्राप्तिकारी या अपील प्राप्तिकारी की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाइ जाती है :

परंतु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में बृद्धि करने अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को मुन्ने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

अधिम विनिर्णय
का लागू होना।

103. (1) इस अध्याय के अधीन प्राप्तिकारी या अपील प्राप्तिकारी द्वारा उदघोषित अधिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा—

(क) उस आवेदक पर, जिसने अधिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा

(2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब जब मूल अधिम विनिर्णय की सन्तर्भकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियाँ न बदल गई हैं।

कठिपय
परिस्थितियों ने
अधिम विनिर्णय
का शून्य होना।

104. (1) जहाँ अपील प्राप्तिकारी या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा उदघोषित अधिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी कपट या तात्काल तथ्यों को डिपाने या तथ्यों के दुर्व्यवेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपर्युक्त आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे जिन्होंने अधिम विनिर्णय की किया ही नहीं था:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि

आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण—धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अधिगम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

105. (1) प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।—

प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ।

(क) खोज और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।

(2) प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थात् और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

106. प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी को इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की प्रक्रिया।

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

107. (1) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यवित कोई व्यक्ति ऐसे अपील प्राधिकारी अपील कर सकेगा जो उस तारीख से जिसको ऐसे व्यवित को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर विहित किया जाए।

अपील प्राधिकारी को अपील।

(2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केंद्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे विन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी को

किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) जहां उपधारा (2) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसा आवेदन अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानो यह न्यायनिर्णयक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील ही और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे ।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रस्तुप में होगी और ऐसी रीति में सत्यपित की जाएगी जो विहित किया जाए ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने—

(क) अक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, व्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए ; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी ।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किरी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन द्वारा से अधिक समय नहीं दिया जाएगा ।

(10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णयक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण या वर्जित मूल्य के माल का अधिकरण के बदले में कोई फीस या

शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी की जहां यह राय है कि कोई कर संदर्भ नहीं किया गया है या कम संदर्भ किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहो अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।

(12) अपील निपटार करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

(14) अपील के निपटार पर अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायानिर्णयक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(15) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और केंद्रीय कर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

108. (1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और प्रीक्षा कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो बुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारावान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक आदेश के जारी करने के पारिणामिक हैं, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को प्रस्ताव और ऐसी और जांच करने के संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के

पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियाँ।

पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपाप्त करना भी है।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि—

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है।

एब्स्टु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट किसी अपील में ऐसी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चय नहीं किया गया है।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होंगा।

(4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय में किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं।

(5) उपधारा (1) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,—

(i) "अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

के समय किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे;

(ii) "विनिश्चय" में पुनरीक्षण प्राधिकारी से ऐक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी।

109. (1) इस ग्राउंड्याए के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम के अधीन गठित भाल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।

(2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 109 या तदर्थीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

110. राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अईताएं, नियुक्ति, वेतन और भूत्वे, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा।

अपील अधिकरण
के समक्ष प्रक्रिया।

111. (1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकारित प्रक्रिया द्वारा बदल होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्दिष्ट नियमों के अध्यर्थीन द्वारा निर्दिष्ट होगा और अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को नियमित करने की शक्ति होगी।

(2) अपील अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्तिको सम्मन करना और उपस्थित होने के लिए ग्राउंड्याए करना तथा उसे शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यर्थीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

1872 का 1

(ङ) साक्षियाँ या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कनीशन जारी करना;

(च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चय के किसी प्रतिवेदन पर किसी प्रतिवेदन को खारिज करना;

(छ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठ।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अहंताप, नियुक्ति, सेवा की शर्त जारी।

1908 का 5

1908 का 5

1872 का 1

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किए जाएं।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपील अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में भेजे-

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापारिक या व्यवितरित रूप से कार्य करता है।

1860 का 45

1974 रा 2

(4) अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहिया भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएँगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिद्धि न्यायालय समझा जाएगा।

112. (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यक्ति कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संमूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा।

अपील अधिकरण को अपील।

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्वलित हो या इनपुट कर में अंतर अंतर्वलित हो या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या शास्ति अवधारित होती हो तथा 50 हजार रुपए से अधिक न हो।

(3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अधिक्षेख को स्वतः या केंद्रीय कर आयुक्त की प्रार्थना पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस तारीख को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आदेश के अनुसार में प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपर्युक्त आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं।

(5) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार

जिसके विरुद्ध अपील हई है कि किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का जापन, आदेश जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा जापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो।

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रति आक्षेपों का जापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(7) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी।

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन जब तक फाइल नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदर्भ न कर दे,-

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, व्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदर्भ रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के 20% के बराबर राशि।

(9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8) के अनुसार रकम संदर्भ कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निस्तारण तक रोकी हुई समझी जाएंगी।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष-

(क) ब्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील;

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

प्रत्येक आवेदन ऐसी ऐसे शुल्क सहित होगा जो विहित किया जाए।

अपील अधिकरण
के आदेश।

113. (1) अपीली अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या बातीलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपीली प्राप्तिकारी या पुनरीक्षण प्राप्तिकारी या न्यून न्यायनिर्णयन प्राप्तिकारी को ऐसे निर्देशों को जिनको वह ठीक समझे सहित वापस नये न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हो, विनिश्चय के लिए वापस भीज सकेगा।

(2) अपीली प्राप्तिकारी यदि सनुचित कारण द्वारा जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्राप्तिकारी पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा:

परन्तु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि ऐसी कोई बुटि अपने-आप उसे संजान में आ जाती है या आयुक्त या कंस्ट्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संजान में आदेश की तारीख के तीन मास की अवधि में लाई जाती है तो अपीली अधिकरण अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष बुटि को ठीक करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा।

परन्तु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो मूल्यांकन की वृद्धि या वापसी की कमी या इनपुट कर प्रत्यय या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का ऊबसर न प्रदान किया जाए।

(4) अपीली अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुने और विनिश्चय करेगा।

(5) अपीली अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या गूल न्यायिर्णयन प्राधिकारी अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या कंस्ट्रीय कर आयुक्त को यथास्थिति भेजेगा।

(6) जैसा कि धारा 117 या धारा 118 में उपब्रहित है, अपील अधिकरण द्वारा विसी अपील पर पारित आदेश पक्षकारों पर अंतिम और बाईकारी होगा।

114. राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाए :

परन्तु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक सनझौ, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस सर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राप्तिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

115. जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 112 की उपधारा (8) या धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदर्भ रकम को अपीलीय प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम की वापसी की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा।

116. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकटार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययनीन शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए दब्कितगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसा कोई

राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ।

अपील के दाखिल करने के लिए संदर्भ रकम की वापसी पर ब्याज।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिर।

व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपधारा (1) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है--

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी ; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के वाणिज्य कर विभाग का या बोर्ड का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'छ' राजपत्रित अधिकारी की ईक की पंचित से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो :

परंतु यह कि ऐसा कोई अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा ; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(3) कोई व्यक्ति--

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो ; या

(ख) जो इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल की पूर्ति या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो ; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया हो ; या

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अहं नहीं होगा--

(i) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए ; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरहू है इस अधिनियम के अधीन

भी निरई समझा जाएगा ।

उच्च न्यायालय
को अपील ।

117. (1) राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यक्ति व्यक्ति द्वारा अपीलेंगत आदेश प्राप्त हुआ है से 180 दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकती और यह ऐसे प्रारूप में और उस सत्यापित रीति में होगी जो विहित की जाए :

परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विनियमित करेगा और केवल इस प्रकार विनियमित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्थी अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है पर बहस करने के लिए अनुज्ञा होंगी :

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित हैं, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो—

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो ; या

(ख) उपधारा (3) में यशनिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो ।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों यदि हीं तो उनके बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी ।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्हाँने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा ।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया

जाएगा।

1908 का 5

(9) इस अधिनियम में जैसे पहले अन्यथा उपबंधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अधीन से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अधीन के मामलों में, जहां तक संभव हो लागू होंगे।

118. ऐसी अधीन जो उच्चतम न्यायालय में होगी—

(क) राष्ट्रीय पीठ या अधीन अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध; या

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अधीन ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वतः या व्यक्तिगत पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अधीन करने के लिए उचित मामला है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अधीन करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अधीन के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अधीन के मामले में होते हैं।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अधीन में बदल या चलट गया हो वहां उच्च न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में उच्चतम न्यायालय का आदेश होता है।

राशि जो अधीन
आदि के होने के
बाद भी सदृश
किए जाने हैं।

119. किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अधीन की गई है, धारा 113 के उपधारा (1) के अधीन अधीन अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अधीन अधिकरण के राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेश की जाएगी।

कलिपय मामलों में
अधीन का फाइल
हित्या जाता।

120. (1) आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अधीन या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अधीन या आवेदन नहीं फाइल कर सकेगा, यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अधीन या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा।

(3) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई अधीन या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अधीन में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी

उच्चतम न्यायालय को
अधीन।

किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिंदु पर विनिश्चय से वह अधिकारी उत्तुके कर का अधिकारी अवगत था, आशयित नहीं करेगा।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

121. इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी जात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा ऐसे गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है अर्थात् :-

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो ; या

(ख) लेखा ब्रह्माण्ड, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अभिभावण या प्रतिशःस्तित करने वाले कोई आदेश ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन को मंजूरी देने वाला कोई आदेश ; या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश।

अपील न किए जाने वाले विनिश्चय और आदेश।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियां

122. (1) जहां कराईय व्यक्ति जो—

कठिपय अपराधों के लिए शास्ति।

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है या ऐसे किसी पूर्ति के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है ;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है ;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, करने में असफल रहता है ;

(v) धारा 51 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण में असफल रहता है या कुछ रकम संग्रहीत करता है तो उक्त उपधारा के अधीन संग्रहीत किए

ज्ञानों के लिए अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण है या जहां वह धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन कर के रूप में संग्रहित रकम को सुरक्षार को संदर्भित करने में असफल रहता है;

(vii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णतः या आशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है;

(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है;

(x) इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय से बचने के आशय से या वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है;

(xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवारित करता है;

(xiv) इस निमित यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराईय किसी माल का परिवहन करता है;

(xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टन्डोवर को छिपाता है;

(xvi) इस अधिनियम के या तदीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असमर्थ रहता है;

(xvii) इस अधिनियम के या तदीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है;

(xviii) ऐसे किसी माल को प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;

(xix) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है;

(xx) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(xxi) किसी माल को खुर्दबुद्द या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोके, जब्त या कुर्कि किया हुआ था,

दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेश नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संग्रहीत नहीं किए गए कर या कम संग्रहीत या संग्रहीत परंतु सरकार को संदर्भ नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या परित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापरी जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल की पूर्ति या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदर्भ नहीं किया है या ब्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या किसी कारण से प्रयोग किया है,--

(क) कपट के कारण भिन्न या किसी जानबूझ कर गलत कथन करता या कर बचाने के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा।

(ख) कपट के उद्देश्य से या कर अपवंचन के तथ्यों का जानबूझ कर गलत कथन या छिपाता है तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर की शास्ति से, जो उच्चतर हो, दायी होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो—

(क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, पूर्ति करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का विश्वास रखता है कि वह इस अधिनियम या तदीन नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी ;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या इसके पूर्ति से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी पूर्ति को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम या तदीन नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या तदीन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में

बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता है।
ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

123. यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि देने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी निटेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए सौ रुपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगा:

परंतु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी।

आंकड़े देने में
असमर्थ रहने पर
जुर्माना।

124. यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,-

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ कर प्रस्तुत करता है,

वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा में और जुर्माने से जो ऐसे प्रथम दिन जिसके द्वारा अपराध जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति।

शास्ति से संबंधित
साधारण विधाएँ।

125. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तदीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

126. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा विना कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए--

(क) यदि किसी भंग जिसमें पांच हजार रुपए से कम का कर अंतर्वलित है तो वह "छोटा भंग" माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी जो अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष बुटि है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की अवस्था और गंभीरता के अनुपात में होगी।

सूचना विवरणी देने में
असफल रहने पर
शास्ति।

(3) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले या विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियन्त्रण हो या दियुत प्रतिशत के रूप में अधिक्यकृत है।

127. जहाँ समुचित अधिकारी इस विचार का है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाह में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उद्दृष्ट करने का आदेश जारी कर सकता।

128. सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब की स्थिति का भागतुः में या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिशों पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी क्रम कुरुते वर्ती परिस्थितियों के अधीन अधिक्यजन कर सकती।

129. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हए भी जहाँ कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या तद्वान निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में हैं, सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल से संबंधित दस्तावेज और अभिवहन अधिकारी लेने या अभिवहन के लिए दायी होना तथा अभिवहन या अभिवहन निर्मुक्त हो सकता—

(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेश कर के 100 प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर जहाँ माल का प्रधान ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर जहाँ माल का प्रधान ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता

करिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।

शास्ति या प्रीस... या दोनों के अधिक्यजन करने की शक्ति।

अभिवहन और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रबलण।

है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर :

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा में या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा ।

(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(3) माल की अभिरक्षा या अभिग्रहण या प्रवहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा ।

(4) बिना संबंद व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए ब्याज या शास्ति उपधारा (3) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी ।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी :

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में हास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी ।

माल की लद्दी या प्रवहण और शास्ति का उद्घारण ।

130. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति--

(i) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल की पूर्ति या प्राप्ति कर संदाय के अपवर्चन के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल की पूर्ति; या

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तदीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवर्चन के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का प्रधान यह सिद्ध

न कर दे कि उसका या उसके ऐंजेंट की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) जब किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा उद्घाहणीय जुर्माना जब्त माल के बाजार मूल्य से अधिक तथा उस पर प्रभारित कर से कम नहीं होगा ।

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्घाहणीय शास्ति धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्घाहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा :

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर याचियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण या प्रधान को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण या व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल का प्रवहण की बाबत शास्ति और शोध्य प्रभारी के लिए दायी होगा ।

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा ।

(6) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात् कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम की धारा के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन नास से अन्यथा युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करेगा ।

1974 का 2

131. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और तदीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड जो उससे प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड से प्रवरित करेगा ।

132. (1) जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक

जब्ती या शास्ति अन्य दंड से व्यतिरेक नहीं करेगा ।

करिताव अपराधों के लिए दंड ।

को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में गलत प्राप्ति या निषेप कर प्रत्यय के प्रयोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों की पूर्ति बिना बीजक या बिल के जारी करना;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल में प्रयोग का इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;

(घ) कोई रकम कर के रूप में संबूहित करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तोन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है;

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो विस्तीर्ण अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्तुत करता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है;

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों को जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, पूर्ति करता है या विक्रय करता है या किसी अन्य रीति में निपटाता है;

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके पूर्ति से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा पूर्ति में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) किसी सूचना देने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम में या तदीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन पूर्ति के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके द्वारा पूर्ति की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

दृढ़नीय होगा—

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की

रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(ii) जहां कर अपवचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम दो सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iii) जहां कर अपवचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रुपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iv) खंड (c) या खंड (छह) या खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(3) उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छह मास से कम अवधि का नहीं होगा।

1974 का 2
(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंजेय और जमानतीय होगा।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ब) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संजेय और गैर जमानतीय होगा।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

स्पृष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "कर" में अपवचित कर की रकम या गलत रूप से रखी गई कर प्रत्यय की रकम या प्रयुक्ति की गई रकम या उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत रूप से ली गई रकम कंट्रीय माल और सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उपकर सम्मिलित है।

133. (1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या सनेक्षण या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समाज पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समाज पोर्टल या अभिकर्ता जानबूझकर इस अधिनियम अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणी के अंश

अधिकारियों और
कानूनी अन्य व्यक्तियों
का दायित्व।

उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के लिए वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुमाने से जो पच्चीस हजार रुपए या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति,-

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा;

(ख) जो सरकार सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ।

*अपराध का संजाल । 134. न्यायालय इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध या संजाल बिना आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कभी का न्यायालय से अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान । 135. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता को अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करने के लिए यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था ।

स्पष्टीकरण-

(i) "आपराधिक मानसिक दशा" पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का जान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य है;

(ii) एक सिद्ध किया हुआ केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेश के विश्वास करता है और केवल जब इसकी विद्यमानता प्राथमिकता की संभाव्यता द्वारा स्थापित है ।

कठिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता । 136. इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, तथ्य की सत्यता जिसमें होगा-

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मर गया है या नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा तरीके से भिन्न या जिसको देशी के बिना उपस्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अन्नोचित्यपूर्ण मानेगा; या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है और न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

कंपनियाँ द्वारा
अपराध ।

137. (1) जहाँ कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के आगी होंगे :

(2) उपथारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साक्षित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या गोनानकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का आगी होगा ।

(3) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराईये व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए किए जाने के अधीन दायी होंगे । ऐसे व्यक्तियों को उपथारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगे ।

(4) इस धारा में उत्तरिष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साक्षित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसे ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सन्यकृत तत्परता बरती थी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभियेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभियेत है ।

138. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने वा उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा :

अपराधों का प्रशमन ।

परंतु इस धारा की कोई बात लिम्लिखित को लागू नहीं होगी—

(क) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपथारा (1) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुजात किया गया था और खंड (1) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उपथारा के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है ।

(घ) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपए से

अत्यधिक मूल्य की पूर्ति के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यकोष भाल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत भाल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुजात किया गया था;

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है;

(इ) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छह) या खंड (ज) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है; और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ण जो विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुजात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाईयों, यदि कोई हो, पर प्रभाव नहीं डालता:

परंतु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुजात होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम न्यूनतम रकम दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(3) आगुकृत द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर समान अपराध और किसी अन्य दांडिक कार्रवाहियों के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन संस्थित नहीं होंगी, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जाएगी।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

विद्यमान
करदाताओं
का प्रवर्जन।

139. (1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विद्यमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्रस्तुत में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अनंतिम प्रमाणपत्र द्वारा पतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्रस्तुत और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।

निरेश प्रतिदेय कर
के लिए
संक्षणकालीन
व्यवस्थाएँ।

140. (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भाने इलेक्ट्रॉनिक जना खाते हैं नियत दिन से तीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में जो विहित की जाए प्रस्तुत किया गया है मूल्यवर्धित कर और प्रतेश कर दिए कोई हो, की रकम के प्रत्यय को अग्रीत करने के लिए हकदार होगा।

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय देने के लिए अनुमति नहीं होगा, अर्थात् :-

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम किसी अधिसूचना के अधीन विक्रय किए गए मालों से और उन पर संदर्भ मूल्यवर्धित कर (जहां कहीं लागू है) के प्रतिदाय के दाये से संबंधित है :

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उत्तीर्ण रकम, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि (की भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी) :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूँजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन लेने को समाप्त अवधि के लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय उक्त जमा को जब तक जमा करने के लिए अनुमति नहीं होगा और जब तक कि

1956 का 74

आद्योगिक
प्रोत्साहन रखने
वाले गव्यों को
लागू।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दारी नहीं था।

निवेश प्रतिदेव बर
के लिए
संक्षमणकालीन
द्वयस्थाप।

140. (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता में, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी, जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है, मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की रकम के प्रत्यय को अग्रनीत करने के लिए हकदार होगा।

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निन्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने के लिए अनुशासन नहीं होगा, अर्थात्--

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञय नहीं है ; या

(ii) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह नाम की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है ; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम किसी अधिसूचना के अधीन विक्रय किए गए मालों से और उन पर संदत्त मूल्यवर्धित कर (जहां कहीं लागू है) के प्रतिदाय के दावे से संबंधित है :

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उन्नी रकम, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी :

परंतु यह शी कि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति ने सिद्ध कर दिया जाता है।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूँजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन लेने की समाप्त अवधि के लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञय उक्त जमा को जब तक जमा करने के लिए अनुशासन नहीं होगा और जब तक कि

ओद्योगिक
प्राप्तमाला रखने
वाले रज्यों को
लागू।

1956 का

इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय-के रूप में भी अनुग्रह है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए "अनुपशुक्त इनपुट कर प्रत्यय" पद से वह रकम अनिप्रेत है जो कि निवेश प्रतिदेय कर की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने इनपुट कर प्रत्यय की औंसत रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधीय व्यक्ति द्वारा पूँजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की रकम प्राप्त कर ली है जो विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूँजी माल के संबंध में हकदार था ;

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से जात हौं, या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिंदु पर कर लगाया गया है और उनके पश्चात्वर्ती विक्रय राज्य में कर के अधीन नहीं हैं, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहां व्यक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने_इलैक्ट्रॉनिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्यवर्धेत कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, मर्थातः--

(i) इस अधिनियम के अधीन कराधीय पूर्ति करने के लिए ऐसे निवेश या मालों के उपयोग या कराधीय पूर्ति करने के लिए उपयोग के आशयित हैं ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिदेय कर के लिए पात्र होगा ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है ;

(iv) नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी किए गए ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे ;

परन्तु जहां किसी विनियोगीय या रोवाओं के प्रदाता ये शिल्प कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के साक्ष्य का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधीय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ हरतात्तरित करने को प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्वारा ऐसे जमा को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी दर पर जमा करने का अनुजात होगा ।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधीय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से जात हौं, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, के विनियोग में लगा है, अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा--

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के

अधीन दी गई किसी विवरणी में अगलीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम ; और

(x) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त नालों, चाहे किसी भी नाम से जात हों, के संबंध में नियत दिन को स्टाक में रखे गए इनपुटों और अर्ध-निर्भित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों) के संबंध में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध में अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जितके संबंध में कर का सदाय विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा दहिलों में लेखबद्ध किया गया था :

परंतु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर तीस दिन की और अधिक अवधि आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी ।

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्भित या निर्भित मालों के निवेश को स्टाक में धरित स्टाक और निवेश के संबंध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :-

(i) इस अटिनियम के अधीन ऐसे निवेश या मालों जो प्रयोग किए गए हैं या कराधीय पूर्ति करने के लिए आशयित हैं ;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करता है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अटिनियम के अधीन ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिटेय कर के लिए पात्र है ;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निवेश के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में हैं ; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में प्रणालित होगी, जो विहित की जाए ।

141. (1) नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, जहा कोई इनपुट, कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में आगे और

फुटकर लाने के संबंध में सक्रमणकालीन उपबंध ।

प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या विस्ती कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेश नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को फुटकर कान के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है :

परन्तु छह मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाएँ जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकती हैं :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा निवेश छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा :

(2) जहां कोई अद्वैतीयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कतिपय विनिर्णयकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस उपधारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेश नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्णयकारी प्रक्रियाएँ करने का अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाएँ जाने पर छह मास की अवधि को दो नस से अनधिक अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त नाल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाल व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसरण में, नियत दिन से भारत में कर के संदेश पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को वहां से आगे उनका कहीं और पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए या यथास्थिति, छह मास के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर नियत के लिए कर के संदेश के बिना अंतरित कर सकेगा ।

(3) जहां कारबार के स्थान पर कोई विनिर्मित किया गया उत्पाद-शुल्क गोग्य माल विनिमाता को बिना बताए किसी अन्य प्रक्रिया अथवा बाहर परीक्षण कराए जाने हेतु शुल्क के बिना सदाय के किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था विद्यमान विधि के अनुसरण में नियत की गई तारीख और ऐसे माल के लिए पूर्व में उक्त स्थान पर अथवा नियत की गई तारीख के पश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर संदेश नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियुक्त तारीख से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाएँ जाने पर छह मास की अवधि को आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल प्रत्यय नोट के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुशासन किया जाएगा यदि प्रत्यय नोट के पाने पर दायी कर के ऐसे कम करने के लिए तत्स्थानी उसका इनपुट कर प्रत्यय घट जाता है।

(3) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय कर, इथाज अथवा कोई अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में लिपटाया जाएगा और उसके लिए प्रोटमूट की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद संदेय किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अव्यवहार्य भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुशासन नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अंशेषित किया गया है।

(4) नियुक्त तारीख के पश्चात् अथवा उसके पूर्व निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन किसी संदेय कर के प्रतिदाय हेतु नियत तारीख के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसार लिपटाया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुशासन नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अंशेषित किया गया है।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उल्ट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

(6)(क) आशयित इनपुट कर प्रत्यय हेतु दावे के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनःविलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई ही तथा दावा करने के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अनुशासन नहीं किया जाएगा जहां नियत के तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अंशेषित किया गया है।

(ख) आशयित इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन निवेशकर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(7)(क) आशयित बाहरी शुल्क अथवा देय कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) आशयित आउटपुट कर दावाकृत के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण निपटाई जाएगी तथा कोई दावाकृत रकम स्वीकार योग्य पाई जाती है विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(8)(क) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन को या उसके पश्चात् संस्थित नियंत्रण या न्यायिकार्यालय कार्यालयों के अनुसरण में किसी कर, व्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम किसी व्यक्ति वसूलनीय हो जाती है तो उस रकम को जब तक कि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न की गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी। स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की जाती है, का नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षण किया जाता है और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम-दसूलनीय पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अनुज्ञेय पायी जाती है, तो उसको विद्यमान विधि के अधीन वसूला जाएगा उसकी इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गयी